Increase in Excise Duty on Cigars in Budget of 1968-69

7925. SHRI MURASOLI MARAN : SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to the present budget proposals cigars whose price is Rs. 151 per 1,000 carries a Central Excise Label Duty of Rs. 182.50 as against the Duty of Rs. 60.84 for 1 000 cigars with a price of Rs. 150 and less ;

(b) whether it is also a fact that against a Label Duty of Rs. 41.84 per 1,000 cigars whose price is Rs. 50 and less, the Label Duty on cigars with a price of Rs. 51 is Rs. 60.84 ;

(c) whether in view of the fact that in both the cases mentioned above the duty is more than the prices themselves and when the duty is added with the prices it results in about two-fold increase and even more, do Government propose to reconsider the proposals ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (d). No change is envisaged in the rates of duty on cigars and cheroots in the present (1968-69) budget proposals. The question of reconsideration of the proposals therefore does not arise. The current effective rates of duty on cigars and cheroots, which were also the rates prevalent before the budget, indicated below :—

Description	Rate — Basic	Special	Additional	Total
	(Rs. per 100 cigars and cheroots)			
Cigars and cheroots of which the value—				
Exceeds Rs. 25/- a hundred	20.00	33⅓% of Basic duty	3.75	30.42
Exceeds Rs. 15/- a hundred but does not exceed Rs. 25/- a hundred	12.00	-do-	2.25	18.25
Exceeds Rs. 5/- a hundred but does not exceed Rs. 15/- a hundred	4.00	-do-	0.75	6.08
Exceeds Rs. 2.50 a hundred but does not exceed Rs. 5/- a hundred	1.00	-do-	0.15	1.48

On the basis of above values and rates of duty, in terms of 1000 cigars the position will be as under :

Description	Rate — Basic	Special	Additional	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Rs. per 1000 cigars and cheroots)			
Cigars and cheroots of which the value—				
Exceeds Rs. 25/- a hundred	200.00	33⅓% of Basic duty	37.50	304.17

1	2	3	4	5
Exceeds Rs. 15/- a hundred but does not exceed Rs. 25/- a hundred	120.00	-do-	22.50	182.50
Exceeds Rs. 5/- a hundred but does not exceed Rs. 15/- a hundred	40.00	-do-	7.50	60.83
Exceeds Rs. 2.50 a hundred but does not exceed Rs. 5/- a hundred	10.00	-do-	1·50	14.83

ग्रामीण आवास परियोजनाएं योजनाएं

7926. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 25 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 832 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष देश में कितने गावों में मकान निर्माण कार्य आरम्भ किया गया तथा उनमें से कितने मकान, राज्य-वार, बनाये जा चुके हैं;

(ख) क्या ये मकान खेतिहर मजदूरों को भी दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने कितने मकान इस प्रकार से दिये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जब प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान के गावों में बिजली लगाना

7927. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने 31 मार्च, 1969 तक गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है और कितने गांवों में 1969 तक बिजली लगाये जाने की संभावना है; और

(घ) उस योजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). राजस्थान के गांवों में 31 मार्च, 1969 तक बिजली की सप्लाई करने के लिए कोई विशेष स्कीम राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। 1966-67 के आरम्भ से, केन्द्रीय सहायता राज्यों को उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए दी जाती है जिनमें पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो। 1968-69 के लिए 3000 सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने और 700 गांवों में बिजली देने का अस्थाई लक्ष्य बनाया गया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन पर तब फैसला किया जायेगा जब राज्य की योजना के लिए समस्त केन्द्रीय सहायता की मात्रा तय हो जायेगी।